न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 91/15

उनवान

1. अमन नूर पुत्र अब्दुल हमीद जाति मुसलमान निवासी रामसर

–– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता मुरलीधर शर्मा

बनाम

1. पीर मौहम्मद पुत्र अब्दुल हमीद
2. हमीदा पत्नी पीर मौहम्मद जाति मुसलमान निवासी रामसर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थीगण :– जरिये अधिवक्ता कैलाश बीजावत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :– दिंनाक :– 23.1.19

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम रामसर में स्थित है जिसका खाता नम्बर 623 किंता 01 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 624 किंता 06 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 625 किंता 1 रकबा 0.28, खाता संख्या 943 किंता 2 रकबा 1.25 है0 है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी व अप्रार्थी संख्या 2 की खरीद शुदा है तथा संयुक्त कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजियात है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा है व खाता संख्या 943 की वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक बॅटवारा कराये आवासीय प्रयोजनार्थ पक्का निर्माण किये जाने हेतु नीव खोद दी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे की संयुक्त कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे साथ ही आवासीय प्रयोजनार्थ पक्का निर्माण नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसमें अप्रार्थीगणों के द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में स्वामित्वी हित निहित नहीं है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं है और यह भूमि अप्रार्थीगण ने विरासती व क्रय से हासिल कर ली है तथा 35 वर्ष पूर्व ही पारिवारिक समझौते में विकीत कर अप्रार्थीगण को सौंपकर अपना टाईटल उक्त भूमि से समाप्त कर चुका है। वादग्रस्त आराजियात अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी व अप्रार्थी संख्या 2 की खरीदशुदा है जिसमें प्रार्थी का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी का 1/4 हिस्सा नहीं है न ही खाता संख्या 943 की भूमि पर प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी का एकल व अक्षुण कब्जा है जिसका विधिक बंटवारा संभव नहीं है क्योंकि भूमि अप्रार्थी के स्वामित्व की है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का हक अधिकार नहीं होने से उसे अपूर्णिय क्षति नहीं हो सकती है । अतः प्रार्थीगण का वाद भारी व्यय से खारिज करने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की खाता नम्बर 623 किंता 01 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 624 किंता 06 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 625 किंता 1 रकबा 0.28, पर राजस्व रेकॉर्ड में 1/4 हिस्सा पर कब्जा मेरा है। खाता संख्या 943 पर 1/3 हिस्सा है। मौखिक बॅटवारे के आधार पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर पक्का निर्माण के उद्देश्य से नीव खुदवाकर व्यवधान व बाधा उत्पन्न कर रहे है। वादग्रस्त आराजियात राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार पुश्तैनी भूमि है। जिस मेरे मैं ही काश्त करता आ रहा हूँ।

वकील अप्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया की मौखिक बॅटवारा अनुसार काश्त करते आ रहे है तथा अपनी जमीन पर ही है। प्रार्थी यह बताये की 1/4 हिस्से वाली जमीन कौनसी है। जबकि अप्रार्थीगण का 40 वर्षो से कब्जा है। राजस्व अंकन का नाजायज फायदा उठा रहे है। प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं हो रही है। वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है। यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तो कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रार्थी के द्वारा चिन्हित हिस्सा बताना चाहिए था जो प्रार्थी को पता नहीं है की कौनसा 1/4 हिस्सा प्रार्थी का है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामसर में स्थित है। जिसके खाता नम्बर 623 किंता 01 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 624 किंता 06 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 625 किंता 1 रकबा 0.28, खाता संख्या 943 किंता 2 रकबा 1.25 है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है। धारा 212 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई प्रार्थना का विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या अधिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

वादग्रस्त आराजियात खाता नम्बर 623 किंता 01 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 624 किंता 06 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 625 किंता 1 रकबा 0.28, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त काश्तकारी की भूमि है। खाता संख्या 943 किंता 2 रकबा 1.25 है0 वर्किंग जमाबन्दी सन 2069–72 से स्पष्ट है की नामान्तकरण संख्या 973 दिनांक 9.3.15 के अनुसार बेचान से विक्रेता नूर मौहम्मद के स्थान पर क्रेता हमींदा पत्नी पीर मौहम्मद के नाम अंकन स्वीकार हुआ है। तथा नामान्तकरण संख्या 979 दिनांक 9.3.15 के अनुसार जन्नत पत्नी अब्दुल हमीद के फौत होने पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम विरासत दर्ज की गयी। अप्रार्थी का यह कथन मान भी लिया जावे की वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा ही नहीं है तो सम्पूर्ण भूमि सहखातेदारी की है जिसके प्रत्येक एक –एक इंच पर सभी सहखातेदारों का कब्जा होता है। प्रार्थी आराजी मुतनजा का रेकॉर्डेड खातेदार है।

प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में सफल रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त सहखातेदारी की है कब्जे के तथ्य मूल वाद में साक्ष्य से ही निर्णित होगें। वादग्रस्त आराजी का आगे बेचान व बिना विभाजन आराजी मुतनजा पर निर्माण किया जाता है तो मौके पर वाद बहुलता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थी यह सिद्व करने में सफल रहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उसे क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभांवना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होती है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण वर्तमान में आराजी मुतनाजा का संयुक्त खातेदार है।

आदेश :– अतः ग्राम रामसर के खाता नम्बर 623 किंता 01 रकबा 0.24 है0, खाता संख्या 624 किंता 06 रकबा 1.19 है0, खाता संख्या 625 किंता 1 रकबा 0.28, खाता संख्या 943 किंता 2 रकबा 1.25 है0 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषोधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी की रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखेंगे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner